Chairman, Kendriya Vidyalaya Sangathan

1459. SHRI DAVID LEDGER : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 2606 given in the Rajya Sabha on the 13th March, 1992 and state :

(a) whether the Chairman, KVS is competent to approve the decision of an outgoing Chairman arrived at without being authorised therefor and without any reference to the Board of Governors of KVS ; and

(b) if so, the relevant provisions and if not, the validity of the order dated 3rd August, 1988 of the then Chairman, KVS ?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH) : (a) and (b) Since the Board of Governors of Kendriya Vidyalaya Sangathan itself authorised the Chairman to take a decision on special dispensation admissions in the light of the report of the sub-committee, there was no need to make a further reference to the Board of Governors in this regard.

हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय और नवोदय विद्यालयों का खोला जाना

1460. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय और नवोदय विद्यालयों को खोलने के क्या मापदण्ड हैं;

(ख) हिमाचल प्रदेश में किन-किन स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोलने की मांग की गई थी ;

(ग) राज्य सरकार की मांग के अनुसरण में किन-किन स्थानों पर ये विद्यालय खोले गये हैं;

(घ) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष ऐसा कोई विद्यालय नहीं खोला गया है ;

(ङ) यदि हां, तो इसके कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) केन्द्रीय विद्यालयों तथा नवोदय विद्यालयों के सम्बन्ध में स्थिति निम्नलिखित है :–

केन्द्रीय विद्यालय

केन्द्रीय विद्यालय उस स्थानों पर खोले जाते हैं जहां स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या हो तथा इसका प्रस्ताव भारत सरकार के मंत्रालयों अथवा विभागों, राज्य सरकारों, संघशासित प्रशासनों, पात्र श्रेणियों से सम्बन्धित कर्मचारियों के संगठनों द्वारा प्रायोजित किया जाता है । प्रायोजित एजेन्सी को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहमत होना चाहिए :

(i) निशुल्क अथवा नाममात्र कीमत पर 15 एकड़ भूमि ।

(ii) केन्द्रीय विद्यालय चलाने के लिए अस्थाई आवास ।

(iii) कम से कम 50 प्रतिशत स्टाफ के लिए आवासों का प्रावधान ।

इसके अलावा, भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों तथा उच्च अध्ययन के संस्थानों आदि वाले परियोजना क्षेत्र के स्थानों में भी केन्द्रीय विद्यालय खोले जाते हैं यदि :

(i) उपरोक्त के साथ-साथ स्टाफ के लिए 100 प्रतिशत आवास के लिये आधार-भूत सुविधाएं उपलब्ध हों और

(ii) उपक्रम/संस्थान इसका सम्पूर्ण आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय वहन करने के लिए सहमत हों ।

नवोदय विद्यालय

नवोदय विद्यालय की योजना में देश के प्रत्येक जिले में औसतन एक नवोदय विद्यालय खोलने की परिकल्पना की गई है । प्रथमतः

स्थान का चयन राज्य सरकार की पेशकश पर आधारित होता है । एक विद्यालय शुरु करने के लिए प्रारम्भ में सम्बन्धित राज्य/संघशासित प्रशासन द्वारा तीस एकड़ निशुल्क भूमि तथा भवन और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती है । जहां तक संभव हो इन विद्यालयों का स्थान ग्रामीण क्षेत्रों में होगा ।

केन्द्रीय विद्यालय

(ख) से (ङ) राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित केन्द्रीय विद्यालयों को खोलने के लिए स्थानों के नाम निम्नलिखित है :

1. नालेटी, जिला कांगड़ा
2. महल, जिला कुल्लु
3. इन्दौरा, जिला कांगड़ा
4. रामपुर, जिला शिमला
5. शिलारू, जिला शिमला
6. बालदीयन, जिला शिमला
7. ऊना

तथापि, नालेटी जिसकी जांच की जा रही है, को छोड़कर अन्य किसी भी प्रस्ताव में अपेक्षित शर्तें पूरी नहीं की गई ।

परियोजना क्षेत्र में, एक केन्द्रीय विद्यालय को 1991-92 में नेशनल हाइड्रोपावर कारपोरेशन, चामेरा जिला चम्बा में संस्वीकृत किया गया है ।

नवोदय विद्यालय

हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से मंडी, शिमला, चम्बा, सिरमौर, किन्नौर, कांगड़ा, ऊना तथा हमीरपुर के 8 जिलों में नवोदय विद्यालय खोले गए हैं । सोलन तथा बिलासपुर जिलों में वर्ष 1992-93 के दौरान नवोदय विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है । तथापि, कुल्लु तथा लाहौलस्पिति के जिलों में नवोदय विद्यालयों को खोलने के लिए राज्य सरकार से कोई उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

गीता रतन जिन्दल पब्लिक स्कूल, रोहिणी, दिल्ली

1461. **श्री अनन्त राम जायसवाल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 अप्रैल, 1992 के "जनसत्ता" में "चित्त भी मेरी पट भी" शीर्षक छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या रोहिणी स्थित गीता रतन जिन्दल पब्लिक स्कूल द्वारा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र चाहने वाले छात्रों "उनके अभिभावकों को लंबे समय तक परेशान करके उनसे अनुचित लाभ उठाये जाने की शिकायत पर सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) जी, हां । दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि विशिष्ट शिकायत मिलने पर स्कूल को अप्रैल 1992 का शुल्क वसूल न करने का निर्देश दिया गया और शिकायतकर्ता को स्कूल द्वारा 16.4.92 को स्कूल छोड़ने का प्रमाण-पत्र और प्रतिभूति जमा राशि का चैक लेने के लिए सूचित किया गया । सम्बन्धित शिकायतकर्ता द्वारा स्कूल छोड़ने का प्रमाण-पत्र और चैक ले लिया गया है ।

Test for T.G.T. in Delhi Administration

1462. SHRI ANAND PRAKASH GAUTAM : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a competitive test was held on 24th March, 1991 for selection of T.G.T. teachers in Delhi Administration and result of the same was declared in piece-meal without going down the merit for SC/ST candidates and left 158 vacancies of SC and 196 vacancies of ST unfilled ;

(b) whether any suitability condition was mentioned in advertisement made for the above test ;